FORM No III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

किशना बनाम प्रकाश लालचंदानी

किस्म मुकदमा अर्न्तगत धारा 188 आरटीए

मु0न0 55 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.06.2023	वादी द्वारा वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 आरटीए का जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया। वाद पत्र पर वादी के अभिभाषक को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 06.07.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर	
06/7/23	पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक उप०/ प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से अभिभाषक श्री बी.एस. भाटी ने अभिभाषक-पत्र पेश किया, जो शामिल मिसल है। शेषअन्य प्रतिवादी के नोटिस तामिल। अदम तामिल अप्राप्त। पत्रावली दिनांक 13/7/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	
3/7/23	पत्रावली वादी किशना पुत्र मंगरूप द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र बाबत लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य समझौता हो चुका है, वादी का वाद निरस्त किये जाने के संदर्भ में प्रा०प० प्रस्तुत किये जाने पर तलब होकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। वादी ने स्वयं और अभिभाषक प्रा०प० में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद-पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का वह (वादी) जमाबंदी के अनुसार खातेदार दर्ज है एवं काबिज है। पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से समझौता हो चुका है इस कारण वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद चलाने की आवश्यकता नहीं रही अतः वादी का वाद निरस्त किये जाने हेतु	वकील वादी 13/7/23 POA

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन-पत्र प्रस्तुत है। ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर स्थित खसरा नंबर पुराने 66, 82, 83, 85/1, 86/2 है जिनके नये खसरा नंबर 2438, 2442/4434, 2435, 2439, 5181/2469, 5180/2470 है जिनका कुल क्षेत्रफल 15538.50 वर्गगज (आवासीय) भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 01 प्रकाश लाल चौधरी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। जिस पर चौतरफ दिशाओं, चौतरफा भुजाओं, बनी चारदीवारी जो कि वर्ष 1986, से मौकामौजूद बनी हुई है कि जिसे वर्ष 2011 एवं 2023 में प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा ऊंचा करवाया गया था। वादी की जमीन की नाप चौप करवाने के बाद उसको तसल्ली हो गई थी कि उसका कुल भूमि का क्षेत्रफल उसके स्वामित्व के अनुसार ही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त प्र०प० को स्वीकार कर वाद को निरस्त फरमावें।

पत्रावली मय प्रस्तुत प्रा.प. का अवलोकन किया गया। वादी के वाद विड्रॉ 15 स्वीकार किया जाता है तथा इसी स्तर पर वाद विड्रॉ के आदेश-यथाहित में प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कटे।

सहायक कलक्टर (प्र.), अजमेर